लोक प्रतिनिधित्व (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 88)

[28 दिसम्बर, 1956]

संसद् और राज्य विधान-मण्डलों की सदस्यता के लिए और संसद् और राज्य विधान-मण्डलों के लिए निर्वाचनों में मतदान के लिए अनर्हता हटाने के लिए और ऐसे निर्वाचनों से संसक्त कुछ प्रकीर्ण बातों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956 कहलाया जा सकेगा ।

2. अनर्हताओं का हटाना—(1) किसी व्यक्ति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) (जिसे कि एतत्पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन संसद् की या राज्य के विधान-मण्डल की सदस्यता के लिए जो अनर्हता मूल अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) द्वारा अपेक्षित रूप में निर्वाचन व्ययों की विवरणी निविष्ट करने में असफलता के लिए लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) के प्रारम्भ के पूर्व उपगत कर ली थी वह प्रत्येक अनर्हता एतद्द्वारा हटाई जाती है ।

(2) किसी व्यक्ति ने मूल अधिनियम के अधीन संसद् की या राज्य के विधान-मण्डल की सदस्यता के लिए या निर्वाचन में मतदान के लिए जो अनर्हता घूस के भ्रष्ट आचरण या असम्यक् असर से भिन्न किसी अवैध आचरण के लिए या किसी भ्रष्ट आचरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) के प्रारम्भ के पूर्व उपगत की थी वह प्रत्येक अनर्हता एतद्द्वारा हटाई जाती है ।

3. [**1951 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 का संशोधन**]—पुनः मुद्रण नहीं किया गया ।

4. पुर्तगाली राज्यक्षेत्र में बन्दियों की अवस्था में नामनिर्देशन के लिए विशेष उपबन्ध—मूल अधिनियम की धारा 33 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कि कोई व्यक्ति, जो किसी पुर्तगाली राज्क्षेत्र में कारावास में या अन्य अभिरक्षा में निरुद्ध है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के अन्दर होने वाले किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है वहां ऐसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र और उसमें अन्तर्विष्ट कोई घोषणा उसकी ओर से प्रस्थापक द्वारा हस्ताक्षरित की जा सकेगी, किंतु जब तक कि प्रस्थापक—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का उसका आशय संदर्शित करने वाला लेख, और

(ख) भारत सरकार के वैदेशिक मामलों के मंत्रालयों के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र कि वह व्यक्ति पुर्तगाली राज्यक्षेत्र में कारावास या अन्य अभिरक्षा में निरुद्ध है, प्रस्थापक नामनिर्देशन के परिदान के समय निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पेश न कर दे ऐसा नामनिर्देशन पत्र उस पदाधिकारी द्वारा लिया न जाएगा ।

5. कुछ अवस्थाओं में संसद् की सदस्यता के लिए अनर्हता का निवारण— एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मणिपुर के मुख्य आयुक्त से या त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त से सम्बद्ध मंत्रणादाता परिषद् के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य रहने के लिए अनर्ह न करेगा ।

———